

विभाग द्वारा संचालित उत्कृष्ट कार्य व्यवहार(Best practices)

वाणिज्यिक कर विभाग में कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम एवं ई-सेवा/एम सेवाएं अनुसार व्यापारियों /करदाताओं के लिए निम्नलिखित सेवाओं ऑनलाइन प्रदाय की जा रही है

- **ई-पंजीयन:-** वाणिज्यिक कर विभाग में ई-पंजीकरण 24 X 7 प्रदान की गयी है। २४ घंटों के अन्दर टिन नंबर प्रदान किया जाता है।
- **ई-विवरणी:-** विवरणी फ़ाइल करने हेतु ऑनलाइन उपलब्ध है जिससे विवरणी की हार्डकॉपी पावती को जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- **ई-सत्यापन:-** व्यवसाई खोज सुविधा के द्वारा व्यवसाई के विवरण, कर शमन की स्थिति का सत्यापन किया जा सकता है।
- **ई-भुगतान:-** व्यापारियों/करदाताओं के लिए विभागीय वेबपोर्टल से लॉग इन द्वारा एवं सायबर ट्रेजरी द्वारा कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- **ई-गेटपास :-** मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर जाँच चौकियों पर वाहनों द्वारा परिवहन किये जा रहे माल की एवं घोषणा पत्रों की प्रविष्टिया यूनिक नंबर वाले ई-गेटपास से जारी कर की जाती है।
- **ई-सत्यापन - वैधानिक फार्म (C,F,H,E1&E2):** व्यापारियों के लिए विभागीय वेबपोर्टल पर वैधानिक फर्मों की प्रमाणिकता का सत्यापन किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जो अन्य राज्यों के व्यापारी एवं अधिकारी भी वैधानिक फर्मों की सत्यता की जाँच कर सकें।
- **ऑनलाइन ट्रांजिट पास:-** परिवहनकर्ता के लिए ट्रांजिट पास डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन सुविधा वेबपोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है जिसकी प्रविष्टी प्रत्येक परिवहन पर मध्यप्रदेश में प्रवेश एवं निर्गम जाँच चौकी पर की जाती है।
- **ऑनलाइन ट्रान्सशिपमेंट एवं इंटर-एगिजट कलेक्शन मोड्यूल:-** परिवहन किये जाने वाले माल की प्रदेश के भीतर वाहन परिवर्तन होने पर परिवहनकर्ता के लिए ट्रान्सशिपमेंट रसीद जारी की जाती हैं जिसे प्रत्येक परिवहन पर मध्यप्रदेश में प्रवेश व निर्गम जाँच चौकी पर प्रविष्टी की जाती है।
- **ई-मेल एवं सए.एम.एस सुविधा:-** व्यापारी द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे घोषणा पत्र डाऊनलोड, वैधानिक पत्रों के अनुमोदन की स्थिति, घोषणा पत्रों की लिमिट में परिवर्तन, पंजीयन की स्थिति आदि की जानकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण संदेश व्यापारियों एवं करदाता को ई-मेल एवं सए.एम.एस सुविधा के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- **की-जनरेशन प्रणाली:-** इसके द्वारा मध्यप्रदेश में भेजे गए माल पर इनवाँइस की जानकारी उपलब्ध कराये जाने की सुविधा वेबपोर्टल पर दी गई है।
- **द्विभाषिक अनुकूल वेबपोर्टल:-** वेबपोर्टल को रि-डिजाइन कर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस तैयार किया गया है। वेबपोर्टल को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया है जिससे व्यापारी दोनों में से किसी भी भाषा से अपना कार्य संपादित कर सकते हैं।
- **डीमड असेसमेंट योजना:-** विभाग द्वारा २० करोड़ टर्नओवर तक के व्यवसायियों हेतु डीमड असेसमेंट योजना प्रदाय की गयी, पूर्व डीमड असेसमेंट योजना (10 करोड़) के टर्नओवर तक के व्यवसायियों हेतु की तुलना में लाखों व्यवसायियों द्वारा अपने व्यावसायिक समय की बचत करते हुए इस योजना से लाभ लिया।